

Order No:- 161L/2020-21



केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक-14.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Shri Chandeshwar Prasad के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 60 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020.21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	NIRJALA RANI	JITESH KUMAR, MOB- 8294436461	VIII	JEHANABAD, BIHAR
2	SHITAL KUMARI	SUNIL KUMAR, MOB- 9939912137	IV	JEHANABAD, BIHAR
3	TANVI SHARMA	OM PRAKASH, MOB- 8409077473	II	JEHANABAD, BIHAR
4	SHRISTI KUMARI	SUDHIR SHARMA, MOB- 6203002089	VIII	JEHANABAD, BIHAR
5	ANURAG KUMAR	ALOK KUMAR, MOB- 9525935924	II	JEHANABAD, BIHAR
6	SUHANI KUMARI	RAJEEV KUMAR RANJAN, MOB- 9431271315	II	JEHANABAD, BIHAR
7	RAJVIR CHAURASIA	VIJAY KUMAR SATKAR, MOB- 9430566672	V	JEHANABAD, BIHAR
8	ANUSHKA SHARMA	HARENDRA KUMAR, MOB- 9973939639	VIII	JEHANABAD, BIHAR
9	KARTIKEY RAJ	RAVI RAJ, MOB- 8863099457	IV	JEHANABAD, BIHAR
10	GAURAV KUMAR	RAJ KUMAR, MOB- 9507420240	VI	JEHANABAD, BIHAR

पिया ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पिया ठाकुर  
14/8/20  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Chandeshwar Prasad माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, PATNA संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)